भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2637

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 **फाल्गुन**, **1946 (शक)**

रोजगार हेतु योजनाएं

2637. श्रीमती संध्या राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्र भी उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेएंडई) ने सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कचरा बीनने वालों सहित अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, डीएनटी, सफाई कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री - दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही (पीएम -डीएकेएसएच) योजना शुरू की। पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूह के कौशल को बढ़ाना और उन्हें वैतनिक-रोजगार और स्वरोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाना है। यह योजना मध्य प्रदेश सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। एक बार इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन आयोजित किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वैतनिक -रोजगार या स्व-रोजगार में प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है जो आय-सृजक क्रियाकलापों और स्वरोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों/स्व-सहायता समूहों को रियायती ऋण प्रदान करके, ऋण लिंकेज को सुगम बनाता है जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क के माध्यम से "वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी जॉब सीकर स्कीम" को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य नौकरी के इच्छुक एससी/एसटी को श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक परामर्श, करियर सलाह और कम्प्यूटर ट्रेंनिग इत्यादि प्रदान करके उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है।

*****